

विधानसभा (अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1884) डॉ. गोविन्द सिंह, अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध कार्यवाही ।

प्रपत्र-अ

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	शना का नाम	धारा	अवैध कॉलोनाइजर का नाम
1	2	3	4	5
1	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग लहरर जिला झिण्ड के प्र.क्र.0577/ब-121/2019-20 दिनांक- 19.05.2020	लहरर / अपराध क्रमांक 0069 / 2021	म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) (5)	1. भोलाराम कुशवाह पुत्र किशोरसिंह निवासी नंदरौली 2. महिला विटोली वेवा विद्याराम ब्राह्मण निवासी श्यामपुरा 3. राजाशैया 4. मनीष कुमार 5. सर्वेश कुमार पुत्रराण विद्याराम ब्राह्मण निवासी श्यामपुरा
2	न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग लहरर जिला झिण्ड के प्र.क्र.0578/ब-121/2019-20 दिनांक- 19.05.2020	रौन / अपराध क्रमांक 0069 / 2021	म.प्र. पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61- घ (3)	1. भोलाराम कुशवाह पुत्र किशोरसिंह काछी निवासी नंदरौली 2. डॉ. राजकुमार कुशवाह निवासी नंदरौली तहसील झिण्ड 3. सियावती वेवा परसुराम वधेल 4. जगनसिंह पुत्र परसुराम वधेल 5. उदयसिंह पुत्र परसुराम वधेल 6. नरेशसिंह पुत्र परसुराम वधेल निवासीराण विरखडी तहसील रौन

प्रश्न सं. [क्र. 1884]

कलेक्टर
जिला झिण्ड

अनुभाग अधिकारी
राजस्व विभाग
जिला झिण्ड